



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 62475

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

10476 वर्ष 2025

शीला और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रतीक श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता., उदय प्रकाश देव पांडे

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 500/2025, धारा 85, 80(2) बी.एन.एस., 2023 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदकों को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकों ने निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग की है:-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i. आवेदक मृतका की जेठानी एवं जेठ हैं।
 - ii. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में केवल दहेज की मांग के संबंध में सामान्य आरोप लगाए गए हैं; हालांकि, धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज गवाहों के बयानों में आवेदक संख्या-1 तथा मृतका के पति के बीच कथित प्रेम-संबंध के संबंध में अतिरिक्त आरोप लगाया गया है।
 - iii. सह-अभियुक्त संतोष मौर्य, जो मृतका का पति है, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2481/2026 में पारित दिनांक 13.03.2026 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। अन्य सह-अभियुक्त लोकनाथ एवं उर्मिला, जो मृतका के ससुर एवं सास हैं, को भी क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27692/2025 एवं 27793/2025 में पारित दिनांक 12.08.2025 एवं 13.08.2025 के आदेशों द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।
 - iv. आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
 - v. आवेदकों का मामला सह-अभियुक्तों के समान आधार पर है।
 - vi. आवेदकों को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 13537/2025 एवं 13583/2025 में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, जो पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रभावी रहा। अब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और आवेदक अब अभिरक्षात्मक पूछताछ के लिए आवश्यक नहीं हैं।
5. सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उदय प्रकाश देव पाण्डेय ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदकों ने पूर्व में बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या 34158/2025 दाखिल किया था, जिसे संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों ने मांगी गई 15 दिनों की अवधि के भीतर जमानत के लिए आवेदन नहीं किया और इसके बजाय 32 दिनों के विलंब के बाद अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकों को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए था, जैसा कि पूर्व में प्रार्थना की गई थी। विद्वान अधिवक्ता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदकों का मामला सह-अभियुक्तों के समान नहीं है, क्योंकि आवेदक संख्या-1 के विरुद्ध मृतका के पति के साथ प्रेम-संबंध होने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने सूचनाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया; हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदकों का मामला उन सह-अभियुक्तों के समान आधार पर है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
8. आवेदक मृतका के जेठ एवं जेठानी हैं। एफआईआर में उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक संख्या-1 के मृतका के पति के साथ प्रेम-संबंध होने का आरोप, इस न्यायालय की राय में, दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता अथवा उत्पीड़न का गठन नहीं करता, जिससे कथित दहेज मृत्यु में उनकी संलिप्तता का निष्कर्ष निकाला जा सके। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त होना नहीं बताया गया है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आरोप-पत्र अब दाखिल किया जा चुका है और आवेदक अब अभिरक्षात्मक पूछताछ के लिए आवश्यक नहीं हैं।
9. उपर्युक्त वर्णित मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय आवेदकों को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता है।
10. आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
11. आवेदकों—शीला एवं संजय—की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त केस क्राइम में संलिप्त हैं, उन्हें संबंधित थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i. आवेदक जब भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाएं, तब स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iii. आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे;

iv. आवेदक अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेंगे।

12. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 मार्च, 2026

कुशल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”